



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक – 24.01.2026**  
**जनपद – सोनभद्र**



- थाना विण्ढमगंज पुलिस द्वारा अवैध गोवंश तस्करी का भंडाफोड़-
- 09 राशि गोवंश, सहित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही तथा अवैध गोवंश तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनभद्र श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी श्री राजेश कुमार राय के पर्यवेक्षण में दिनांक 24.01.2026 को थानाध्यक्ष विण्ढमगंज श्री शिवकुमार सिंह मय पुलिस बल द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना विण्ढमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुड़ीसेमर से अवैध गोवंश तस्करी में संलिप्त अभियुक्त 1. सुरेश यादव पुक्ष स्व0 राम अवतार निवासी साउडीहा थाना हाथीनाला जनपद सोनभद्र 2. अशोक यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम धिवही थाना विण्ढमगंज जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर कब्जे से 09 राशि गोवंश बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना विण्ढमगंज पर मु0अ0सं0 09/2026, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. सुरेश यादव पुक्ष स्व0 राम अवतार निवासी साउडीहा थाना हाथीनाला जनपद सोनभद्र।
2. अशोक यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम धिवही थाना विण्ढमगंज जनपद सोनभद्र

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग गोवंशो को जंगल से पकड़ कर और ग्रामीणों से कम पैसे में खरीदकर जंगल के रास्ते साउडीहा हाथीनाला होते हुए जोरकहू फलवार होते हुए महुली धिवही होते हुए मुड़ीसेमर ग्राम के रास्ते झारखण्ड में मझिगांवा मोड़ गढ़वा में लगने वाले पशु मेला में बेचने के लिए ले जा रहे हैं जहा पर अच्छा खासा पैसा मिलता है इसी मण्डी से गोवंशो को खरीद कर बिहार व बंगाल में बध करने के उद्देश्य से ले जाते हैं।

**बरामदगी का विवरण-**

- \* 03 अदद गाय
- \* 05 अदद बछिया
- \* 01 अदद बछड़ा

## गिरफ्तार अभियुक्त अशोक यादव का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-281/2012 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष शिवकुमार सिंह थाना विण्ढमगंज जनपद सोनभद्र।
2. हे0का0 सियाराम सिंह थाना विण्ढमगंज जनपद सोनभद्र।
3. का0 भूपेन्द्र पाण्डेय थाना विण्ढमगंज जनपद सोनभद्र।
4. वाहन चालक हे0का0 बृजराज यादव थाना विण्ढमगंज जनपद सोनभद्र।